भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2623 का उत्तर

बुलेट ट्रेन के लिए भूमि अधिग्रहण

2623. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का बड़े पैमाने पर किसान विरोध कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो किसानों की शिकायतों का कब तक निवारण किए जाने की संभावना है;

(ग) भूमि अधिग्रहण के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(घ) क्या सरकार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्षतिपूर्ति नीति की समीक्षा करने का विचार रखती है;

(ङ) यदि हां, तो मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) मुम्बई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की कुल अनुमानित लागत और भागीदार देशों से प्राप्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना (508 किमी) के लिए संपूर्ण भूमि (1389.5 हेक्टेयर) का अधिग्रहण कर लिया गया है।

मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास गतिविधियां "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" और संगत संशोधन तथा संबंधित राज्य सरकारों के सरकारी संकल्प के अनुसार की गई हैं।

इस परियोजना की स्वीकृत लागत लगभग 1,08,000 करोड़ रुपए है। इस इक्विटी में रेल मंत्रालय (50%), गुजरात सरकार (25%) और महाराष्ट्र सरकार (25%) शेयरधारक हैं।

*****

SK